

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: २५ अगस्त, 2021

विषय:- बाढ़ प्रभावित जनपदों में किये जा रहे राहत खोज, बचाव कार्य, राहत सामग्री वितरण, बाढ़ पीड़ितों हेतु शरणालय का प्रबंधन, राहत सामग्री की एअर ड्राइंग सहित बाढ़ राहत हेतु प्रशासन द्वारा किये जा रहे अभिनव कार्यों का फोटो एल्बम तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या- 25761 / रा०आ०का० / पी०डी०(ई०आ०) / 2021, दिनांक 11.08.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ प्रभावित जनपदों में किये जा रहे राहत खोज, बचाव कार्य, राहत सामग्री वितरण, बाढ़ पीड़ितों हेतु शरणालय का प्रबंधन, राहत सामग्री की एअर ड्राइंग सहित बाढ़ राहत हेतु प्रशासन द्वारा किये जा रहे अभिनव कार्यों का फोटो एल्बम तैयार कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2 / 1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2— उक्त स्वीकृत रु0 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

संख्या— 1510(1) / एक-10-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3— विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5— मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6— अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 7— वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।